

# Order Sheet [Contd]

Case No 149/12 विद्युत

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
06.10.2017	<p>परिवादी द्वारा श्री ए0के0 श्रीवास्तव अधिवक्ता।  आरोपी द्वारा श्री एम0एस0 यादव अधिवक्ता।  आरोपी हजुरीप्रसाद अनुपस्थित उसकी ओर से हाजरी माफी आवेदनपत्र प्रस्तुत हुआ जो कि विचारोपरांत स्वीकार किया गया।  परिवादी की ओर से उनके अधिवक्ता श्री ए0के0 श्रीवास्तव ने एक आवेदनपत्र धारा 152 विद्युत अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत किया जो कि जूनियर इंजीनियर श्री ए0के0उमाले की ओर से प्रस्तुत किया जाना दर्शाया गया है, जिसमें यह आधार लिया गया है कि आरोपी की ओर से नेशनल मेगा लोक अदालत में 27,997/- रुपए की राशि जमा कराई जा चुकी है एवं समन शुल्क भी जमा किया जा चुका है और इसी आधार पर अपराध का समन कर आरोपी को दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना की है।  प्रस्तुत आवेदनपत्र पर विचार किया गया। परिवादी द्वारा अपराध का समन किये जाने से आरोपी हजुरीप्रसाद को विद्युत अधिनियम की धारा 138 के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है। प्रकरण समाप्त हो।  प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।</p> <p>(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)  विशेष न्यायाधीश विद्युत गोहद</p>	